कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 18

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	3.00	187.88	190.88	12.00	201.50	213.50	8.00	190.42	198.42	23.38	201.98	225.36
	पूंजी	***24.99***	*12.09*	*37.08*	*20.00*	*12.00*	*32.00*	*20.00*	*10.80*	*30.80*	*10.62*	*19.30*	*29.92*
	जोड़	**27.99**	**199.97**	**227.96**	**32.00**	**213.50**	**245.50**	**28.00**	**201.22**	**229.22**	**34.00**	**221.28**	**255.28**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	118.11	118.11	4.00	125.96	129.96	...	112.12	112.12	...	120.28	120.28
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं													
2. संयुक्त स्टाक कंपनी पंजीयक	3475	...	31.75	31.75	...	35.41	35.41	...	34.45	34.45	...	35.65	35.65
3. कंपनी अधिनियम तथा क्षेत्रीय निदेशकों के तहत शासकीय परिसमापक	3475	...	23.79	23.79	...	25.84	25.84	...	26.76	26.76	...	29.30	29.30
4. अन्य व्यय	3475	...	14.23	14.23	...	14.29	14.29	...	17.09	17.09	...	16.75	16.75
	5475	...	12.09	12.09	...	12.00	12.00	...	10.80	10.80	...	19.30	19.30
	जोड़	*...*	*26.32*	*26.32*	*...*	*26.29*	*26.29*	*...*	*27.89*	*27.89*	*...*	*36.05*	*36.05*
5. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए)	3475	3.00	...	3.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	23.38	...	23.38
	5475	24.99	...	24.99	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	10.62	...	10.62
	जोड़	*27.99*	*...*	*27.99*	*28.00*	*...*	*28.00*	*28.00*	*...*	*28.00*	*34.00*	*...*	*34.00*
जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		**27.99**	**81.86**	**109.85**	**28.00**	**87.54**	**115.54**	**28.00**	**89.10**	**117.10**	**34.00**	**101.00**	**135.00**
कुल जोड़		***27.99***	***199.97***	***227.96***	***32.00***	***213.50***	***245.50***	***28.00***	***201.22***	***229.22***	***34.00***	***221.28***	***255.28***

विकास शीर्ष		बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	...	...	...	4.00	...	4.00	...	...	...	...	...	...
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	27.99	...	27.99	28.00	...	28.00	28.00	...	28.00	34.00	...	34.00
जोड़		**27.99**	**...**	**27.99**	**32.00**	**...**	**32.00**	**28.00**	**...**	**28.00**	**34.00**	**...**	**34.00**

1. **सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय व्यय, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ), प्रादेशिक निदेशकों के द्वारा आई.ई.पी.एफ. के अंतर्गत निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों (आरडी), सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के लिए ई-शासन, ई-शासन परियोजना (एमसीए-21), ओ.एल. ई-नीलामी और लेखांकन तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के लिए अनुदान सहायता आदि के लिए प्रावधान करता है।

2. **कंपनी रजिस्ट्रार सह शासकीय समापक और कंपनी रजिस्ट्रार:** विभिन्न राज्यों में स्थित कंपनी रजिस्ट्रार सह शासकीय समापक कार्यालयों और कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों के व्यय के लिए प्रावधान करता है। उनका मुख्य कार्य कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों का पंजीकरण करना, वार्षिक विवरणी, तलन-पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच और ऐसी जांच के परिणामस्वरूप पाई गई अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करना है। कंपनी रजिस्ट्रार सह शासकीय समापक उच्च न्यायालयों से भी जुड़े हुए हैं और यह अनिवार्य रूप से परिसमापनाधीन कंपनियों के प्रभारी हैं।

3.01. **शासकीय समापक:** कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार, शासकीय समापकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये उच्च न्यायालयों से जुड़े हुए हैं। ये अनिवार्य परिसमापनाधीन कंपनियों के प्रभारी है।

3.02. **नोएडा स्थित महानिदेशक, कारपोरेट कार्य सहित प्रादेशिक निदेशक:** डी.जी.सी.ए. देश भर में मंत्रालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच एक कड़ी की तरह काम करता है। प्रादेशिक निदेशक, उनकी क्षेत्राधिकार में आने वाले कंपनी रजिस्ट्रार सह शासकीय समापक कार्यालयों, कंपनी रजिस्ट्रार व शासकीय समापकों का पर्यवेक्षण करते हैं, उन्हें सलाह देते हैं तथा उनका मार्ग दर्शन करते हैं।

4. **अन्य व्यय:** कंपनी विधि बोर्ड के कार्यालयों, गंभीर धोखाधड़ी जांच पड़ताल कार्यालय, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण और प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण के व्यय के लिए प्रावधान करता है।

5. **भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) – (योजना स्कीम):** सुनिजोयिति ज्ञान प्रबंधन, और वन स्टॉप मोड में समस्याओं का हल करने करते हुए कारपोरेट विकास, सुधार तथा विनियमों में सहायता हेतु एक समग्र विचारक मंडल, क्षमता निर्माण और सेवा सुपुर्दगी संस्थान के रूप में सेवा प्रदान करता है।